

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, सरकार के आदेश ज्ञापांक-115(HS)/पटना दिनांक 22.03.2020 के द्वारा बिहार में लॉकडाउन आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के कंडिका-3 एवं कंडिका-4 में खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान एवं उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन के परिचालन को लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखा गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में कोरोना वायरस एवं वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न एवं किराने से संबंधित ई0-कॉमर्स सेवाएँ से जुड़े प्रतिष्ठान तथा खाद्यान्न एवं किराने के सामान्य प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन प्रातः 6.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक हीं अगले आदेश तक खुला रखा जाय। खाद्यान्न एवं किराना से संबंधित वाहनों को लॉकडाउन अवधि में सुगमतापूर्वक परिचालन के लिए संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पास निर्गत किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), सेनेटाईजेशन एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

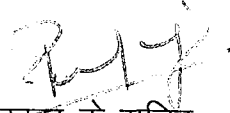

सरकार के सचिव

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

ज्ञापांक:- प्र06-विविध-04/2019 1478
प्रतिलिपि:-

खाद्य, पटना/दिनांक 26/03/2020

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव